ऋण के सामान्य नियम और शर्तें

DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण के लिए सामान्य नियम और शर्तें (“**GC**”) जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली –110002 में है ('**DMI**' जिसका अर्थ और इसमें शामिल होंगे इसके उत्तराधिकारी और स्थानान्तरण)

1. **परिभाषाएँ**

1.1 इन GC और ऋण आवेदन पत्र में निहित नियम और अभिव्यक्ति निम्नांकित हैं:

"उपलब्धता की अवधि" का अर्थ उस अवधि से होगा जिसके भीतर उधारकर्ता सुविधा से अग्रिम राशि आहरित करने (ड्रॉडाउन) का अनुरोध कर सकता है और जिसका विस्तृत विवरण ऋण विवरण पत्र में उपलब्ध है;

"उपलब्ध सुविधा राशि" का अर्थ है किसी भी समय सुविधा की आहरित न की गई राशि, जिसमें सुविधा की कोई राशि शामिल है जो पिछले किसी ड्रॉडाउन के सभी या इसके एक हिस्से के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान (प्रीपेमेंट) के अनुरूप उपलब्ध होती है;

"उधारकर्ता" का अर्थ ऋण विवरण पत्र में वर्णित उधारकर्ता है;

"उधारकर्ता के बकाया राशि" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा DMI को देय सभी रकम, जिसमें बकाया सुविधा, ब्याज, अन्य सभी शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं;

"ड्राडाउन" का मतलब उपलब्धता की अवधि के भीतर और वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार सुविधा का प्रत्येक ड्रॉडाउन**,** जिसमें किसी भी राशि का ड्रॉडाउन शामिल हैजो किसी भी पूर्व ड्रॉडाउन के प्रीपेमेंट/ पुनर्भुगतान के अनुरूप सुविधा के लिए उपलब्ध हो जाती है**;**

किसी भी भुगतान के संबंध में **"नियत तारीख"** का अर्थ उस तिथि से है जिस तिथि पर उधारकर्ता का DMI के प्रति कोई राशि देय है**;** जैसा की ऋण विवरण पत्र में दिया गया है।

"ईएमआई" का अर्थ है वित्तपोषण के दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा सभी बकाया ड्रॉडाउन के पुनर्भुगतान और ब्याज का भुगतान (यदि लागू हो) के लिए समान मासिक किस्तों में भुगतान की जाने वाली बकाया राशि है**;**

"सुविधा" का अर्थ है ऋण विवरण पत्र के अनुसार उधारकर्ता को DMI द्वारा स्वीकृत की गई अधिकतम ड्रॉडाउन सीमा, जो उधारकर्ता को एक परिक्रामी उधार (रिवॉल्विंग क्रेडिट) के रूप में उपलब्ध हो सकती है;

"वित्तपोषण संबंधी दस्तावेज़" का अर्थ है ये GC, ऋण हेतु आवेदन, ऋण विवरण पत्र, जिसके साथ-साथ परिशिष्ट और उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए या DMI द्वारा आवश्यकतानुसार माँगे गए, समय-समय पर यथा संशोधित दस्तावेज़ शामिल हैं;

"ऋण आवेदन" का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र में उधारकर्ता द्वारा DMI के पास वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए समय-समय पर प्रस्तुत आवेदन;

"ऋण विवरण पत्र" का अर्थ है समय-समय पर DMI और उधारकर्ता के बीच निष्पादित ऋण विवरण पत्र;

"आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ है कोई घटना जिसका DMI के विचार से (i) उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने की उधारकर्ता की अदायगी क्षमता या (ii) उधारकर्ता की बकाया राशि की पुनर्वसूली क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

"अतिदेय ब्याज दर" का अर्थ ऋण विवरण पत्र में निर्धारित डिफ़ॉल्ट ब्याज से है जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका उनके संबंधित देय तिथियों पर भुगतान नहीं किया जाता है;

"प्रयोजन" का अर्थ है ऋण विवरण पत्र में उल्लिखित प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग;

1.1 ए. इस GC में, (अ) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और विपरीत क्रम से) और (ब) लिंग के संदर्भ में स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

1. संवितरण

1.2 उपलब्धता अवधि के दौरान किसी भी समय उधारकर्ता उपलब्ध सुविधा राशि की सीमा तक किसी भी राशि के संवितरण का अनुरोध कर सकता है। DMI के पास इस तरह के अनुरोध के विरुद्ध ड्रॉडाउन (आहरण द्वारा कमी करने) की स्वीकृति या अस्वीकृति देने का स्वविवेक या पूर्ण विवेक होगा। सुविधा एक परिक्रामी उधार (रिवाल्विंग क्रेडिट)के स्वरूप में हो सकती है और प्रीपेमेंट्स/पुनर्भुगतान के कारण उपलब्धता अवधि के दौरान उपलब्ध सुविधा राशि बदल सकती है। इस GC में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, DMI को जैसा उपयुक्त लगे, उसके पास अपने स्वविवेक से सुविधा से किसी भी अतिरिक्त ड्रॉडाउन (आहरण) को रद्द करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा,जिसमें उधारकर्ता के क्रेडिट मूल्यांकन में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण ऐसा होना शामिल है।

1.3 उधारकर्ता ऋण विवरण पत्र में यथा उल्लिखित कर के साथ अप्रत्यार्पणीय प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करेगा, जिसे पहले ड्रॉडाउन के लिए एक मानित संवितरण के रूप में जोड़ा जा सकता है और उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण ड्रॉडाउन के लिए उत्तरदायी होगा।

2. ब्याज और पुनर्भुगतान

2.1 उधारकर्ता सुविधा के उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रत्येक ड्रॉडाउन और ऋण विवरण पत्र में प्रदान की गई अन्य सभी देय राशि के लिए ब्याज (यदि लागू हो) का भुगतान करेगा ब्याज का निर्धारण मासिक आधार पर होगा। उधारकर्ता संपूर्ण ड्रॉडाउन राशि के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए सम्पूर्ण राशि का भुगतान करेगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में, यदि देय तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सभी अतिदेय राशियों पर निर्धारित दर (**"अतिदेय ब्याज दर"**) पर ब्याज देना होगा, जिसकी गणना भुगतान के लिए संबंधित देय तिथियों से की जाएगी और ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।

2.2 प्रत्येक ड्रॉडाउन का कार्यकाल ऋण विवरण पत्र में प्रदान किया जाएगा। ईएमआई की गणना DMI द्वारा ड्रॉडाउन के परिशोधन के लिए यथा आवश्यक उनकी संबंधित अवधि के भीतर एवं उस पर देय ब्याज के आधार पर होगी और यह ऋण विवरण पत्र के अनुसार अधिकतम ईएमआई से अधिक नहीं होगी। EMI केवल बकाया मूलधन बकाया और उस पर देय ब्याज के प्रति होगी और इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्याज या वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है।

2.3 समय पर प्रत्येक ईएमआई का भुगतान करना अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईएमआई की गणना की विधि को समझ लिया है और इस संबंध में वह कोई विवाद नहीं करेगा।

2.4 वित्त पोषण संबंधी दस्तावेजों में कहीं भी कुछ उल्लिखित होने के बावजूद, DMI द्वारा जब कभी माँगे जाने जाने पर ईएमआई सहित उधारकर्ता की सभी बकाया राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा DMI को देय होगा, जो उसके स्वविवेक पर आधारित और कोई कारण बताने की आवश्यकता के बिना होगा। उधारकर्ता ऐसी राशि का भुगतान, बिना किसी विलंब या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर करेगा।

2.5 DMI लागू होने वाले किसी भी कानून के अंतर्गत आवश्यक होने पर ब्याज की दर को संशोधित करने का हकदार होगा और DMI बकाया सुविधा और ब्याज की अदायगी के लिए ईएमआई/ईएमआई की संख्या की पुनः गणना कर सकती है। DMI द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया कोई भी परिवर्तन उधारकर्ता के लिए अंतिम और उस पर बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन की स्थिति में,उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) सहित सम्पूर्ण बकाया सुविधा, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड (प्रीपेमेंट) के पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

2.6 **विलंबित भुगतानों की स्थिति में, DMI के अन्य सभी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, DMI विलंब की अवधि के लिए उधारकर्ता से अतिदेय ब्याज दर (जैसा कि ऋण विवरण पत्र में निर्धारित है) पाने का हकदार होगा।**

2.7 उधारकर्ता, केवल DMI की पूर्व स्वीकृति के साथ और ऐसी शर्तों और पूर्वभुगतान शुल्क के अधीन, जैसा कि DMI द्वारा निर्धारित किया गया है,किसी भी ड्रॉडाउन का उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले पूर्व भुगतान कर सकता है।

2.8 वित्तपोषण के तहत DMI को किए गए भुगतान के संबंध में,उधारकर्ता किसी भी समय किसी भी कानून के तहत देय सभी ब्याज, कर, चुंगी, उपकरों और करों के अन्य प्रकारों का वहन करेगा, जो अभी लागू हैं या भविष्य में लागू होंगे। यदि ये DMI द्वारा व्यय किए गए हैं, तो ये उधारकर्ता से वसूल किए जाएँगे और इन पर भुगतान की तारीख से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय ब्याज दर की दर से ब्याज लगेगा।

2.9 वित्त पोषण संबंधी दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम और शर्तों के विपरीत होने बावजूद, उधारकर्ता द्वारा अदा की गई राशि पहले लागत, शुल्क, व्यय और अन्य मुद्राओं के लिए; दूसरा अतिदेय ब्याज दर की तरफ, यदि कोई हो; तीसरा ब्याज की ओर; और अंततः सुविधा के मूल राशि के पुनर्भुगतान की ओर विनियोजित किया जाएगा।

2.10 ब्याज (यदि लागू हो), अतिदेय ब्याज दर और अन्य सभी शुल्क दिन-प्रतिदिन देय होंगे और वर्ष में 365 दिन और बीते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी।

2.11 यदि किसी भुगतान के लिए नियत तारीख कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा ठीक अगले व्यावसायिक दिन किया जाएगा।

2.12 उधारकर्ता द्वारा DMI को देय सभी रकम का भुगतान बिना किसी कटौती के किया जाएगा। भुगतान के लिए क्रेडिट/अदायगी केवल देय राशियों की प्राप्ति पर ही दिया जाएगा।

3. भुगतान, पुनर्भुगतान एवं पूर्व भुगतान की विधि

3.1 उधारकर्ता,DMI द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यक समझे जाने पर,बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ता के बैंक खाते के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") द्वारा यथा अधिसूचित (i) ("ईमैंडेट") या (ii) नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (डेबिट क्लियरिंग)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंगमैंडेट (सामूहिक रूप से "NACH के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। इस तरह के EMANDATEs / NACH को DMI की सहमति वाले बैंक और स्थान से आहरित किया जाएगा। उधारकर्ता पहली प्रस्तुति/नियत तिथियों पर बिना चूके सभी भुगतान करेगा। DMI द्वारा उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए EMANDATE / NACH का उपयोग किसी भी उधारकर्ता के बकाया की वसूली के लिए किया जा सकता है। उधारकर्ता बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से DMI को इस तरह की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता शीघ्रता से (और किसी भी स्थिति में (7) दिनों के भीतर) उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए, DMI द्वारा एकमात्र विवेक से, समय-समय पर यथा आवश्यक, eMandates और/या NACH और/अन्य दस्तावेजों को बदल देगा।

3.2 उधारकर्ता हर समय, अपने बैंक खाते/खातों में संबंधित देय तारीखों पर उधारकर्ता के बकाया भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि रखेगा। उधारकर्ता बैंक खाता/ खाते बंद नहीं करेगा, जहां से e-Mandates/NACH जारी किया गया है या EMANDATE/NACH के अंतर्गत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या DMI को जारी निर्देशों को रद्द या निर्देश जारी करेगा और DMI ऐसे किसी भी सूचना पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।

3.3 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और यह स्वीकार करता है कि EMANDATE/NACH उधारकर्ता के बकाया राशि की अदायगी के लिए स्वेच्छा से जारी किया गया है और न कि किसी भी उद्देश्य के लिए जमानत के माध्यम से नहीं। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी EMANDATE / NACH का अस्वीकरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881)/संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट, 2007) के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक EMANDATE/NACH के अस्वीकरण के लिए अस्वीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि ऋण विवरण पत्र में निर्धारित है)।

3.4 किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद या मतभेद उधारकर्ता को किसी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या उसका देरी से भुगतान करने का अधिकार नहीं देगा और DMI संबंधित देय तिथियों पर EMANDATE/NACH को प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

3.5 EMandates/NACH जारी करने के बावजूद, उधारकर्ता बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

4. उधारकर्ता का प्रसंविदा, अभ्यावेदन एवं वारंटी

4.1 उधारकर्ता करेगा:

(i) वित्त पोषण संबंधी दस्तावेज के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन।

(ii) समय-समय पर DMI के आवश्यकतानुसार बैंक खाता विवरण सहित सभी दस्तावेज सौंपना। उधारकर्ता DMI को स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के लिए अधिकृत करता है (i) किसी भी बैंक के साथ जहाँ उधारकर्ता का एक खाता हो और DMI बैंक से ऐसे खाते के संबंध में ब्यौरा और बैंक विवरण माँग सकता है और (ii) किसी भी उधारकर्ता के नियोक्ता के साथ DMI आवश्यक समझने पर, उधारकर्ता की उधार पात्रता की निगरानी सहित ।

(iii) किसी भी उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही DMI को तुरंत सूचित करना।

(iv) DMI को किसी भी वस्तुगत प्रतिकूल प्रभाव या डिफ़ॉल्ट की घटना सूचित करना।

(v) स्थान/कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते या किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/रोजगार/पेशा/व्यवसाय के बंद होने के संबंध में DMI को लिखित रूप से सूचना देना।

(vi) ब्याज और अन्य बकाया राशियों एवं शुल्कों के साथ उस समय बकाया सुविधा का पूर्ण भुगतान किए बिना रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत को नहीं छोड़ना या विदेश में लंबी अवधि के लिए रहना।

(vii) उधारकर्ता के ऋण पात्रता में कोई परिवर्तन होने पर (DMI द्वारा यथा निर्धारित) वित्त पोषण संबंधी दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट या DMI के आवश्यकतानुसार जमानत प्रदान करना, यदि कोई हो।

(viii) जिस खाते से DMI को EMANDATE / ECS जारी किया गया है उस खाते में वेतन और/ या व्यावसायिक आय का जमा सुनिश्चित करना।

(ix) पहले ड्रॉडाउन पर या उससे पहले DMI के आवश्यकतानुसार क्रेडिट जीवन बीमा पॉलिसी लेना, जिसमें दुर्घटनाओं, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेरोजगारी के साथ अन्य ऐसे शर्त शामिल होंगे जो DMI को स्वीकार्य होंगी।

(x) हर समय लागू होने वाले कानूनों का अनुपालन करना जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 शामिल है।

(xi) केवल उद्देश्य के लिए प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग करना।

4.2 **प्रत्येक उधारदाता DMI को निम्नानुसार अभिवेदन एवं अधिकार पत्र देता है**

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण आवेदन में दी गई सभी जानकारी और कोई अन्य दस्तावेज, जो उधारकर्ता की उधार पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है या नहीं, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

(ii) उधारकर्ता वित्तपोषण संबंधी दस्तावेज और इस आधार पर लेनदेन को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए सभी लागू कानूनों के अंतर्गत सक्षम और हकदार है;

(iii) उधारकर्ता 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और यह GC विधिसम्मत, वैध और उसके लिए बाध्यताकारी दायित्व है, इसके शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू होने योग्य है;

(iv) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है;

(v) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जो DMI के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या उधारकर्ता की वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करेगा या वित्त पोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत सभी या किसी भी दायित्वों को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगा;

(vi) उधारकर्ता किसी भी कर या सरकारी देय राशि के भुगतान में कोई चूक (डिफ़ॉल्ट) नहीं किया है;

(vii) इस GC की शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए उधारकर्ता DMI के आवश्यकतानुसार सभी कार्य, व्यवहार और चीजें करेगा;

(viii) उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी दिवालियापन की प्रक्रिया का आरंभ।

4.3 उधारकर्ता DMI को अपनी सहमति देता है कि वह उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाओं या अन्यथा DMI द्वारा इस सुविधा के प्रयोजनों के लिए या उसके व्यवसाय के लिए उपयुक्त समझे गए तरीके से प्राप्त की गई सभी सूचनाओं का उपयोग/भंडारण करे और उधारकर्ता यह समझता है एवं सहमति देता है कि DMI इस तरह की सूचनाओं का खुलासा अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी अन्य तीसरे पक्ष को कर सकता है।

5. डिफ़ॉल्ट की अवस्थाएँ

5.1 निम्नलिखित प्रत्येक कार्य/घटनाएँ, प्रत्येक सुविधा के उद्देश्यों के लिए उधारकर्ता द्वारा "डिफ़ॉल्ट की एक घटना" तैयार करेगा:

(i) उधारकर्ता देय तिथि पर किसी भी उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ii) किसी भी वित्त पोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत किसी शर्तों, प्रसंविदा, वारंटी, घोषणा या पुष्टिकरण का उल्लंघन;

(iii) उधारकर्ता द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुति या तात्विक जानकारी को छुपाना जो सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में DMI के निर्णय को प्रभावित कर सकता है;

(iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

(v) उधारकर्ता निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए ड्रॉडाउन का उपयोग करता है;

(vi) किसी भी घटनाओं, अवस्थाओं या परिस्थितियों की उत्पत्ति (कानून में किसी परिवर्तन सहित), जिसका DMI के एकमात्र और पूर्ण विचार में प्रतिकूल भौतिक प्रभाव हो सकता है, जिसमें किसी कार्यवाही की सीमा या दिवालियापन/परिसमापन/उधारकर्ता का ऋणशोधन अक्षमता या इसके किसी परिसंपत्तियों की कुर्की/नियंत्रण के लिए कार्रवाई शामिल है;

5.2 डिफॉल्ट की कोई घटना हुई है या नहीं, इस संबंध में DMI का निर्णय उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

6. डिफ़ॉल्ट का परिणाम

6.1 डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के समय और उसके बाद किसी भी समय, DMI के पास सुविधा के संबंध में सभी बकाया धनराशियों, चाहे देय हो या नहीं, को तुरंत प्रतिदेय घोषित करने का को अधिकार होगा, लेकिन बाध्यता नहीं और उधारकर्ता द्वारा उसके बाद उक्त भुगतान 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर करने में असफल रहने पर,DMIअपने एकमात्र विवेकाधिकार का उपयोग कर किसी अन्य अधिकार या उपाय को लागू कर सकता है जो लागू होने वाले किसी भी कानून के अंतर्गत DMIको उपलब्ध हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह का निषेधाज्ञा राहत चाहना या उधार लेने वालों या उनकी संपत्ति के खिलाफ कुर्की करना शामिल है।

6.2 उधारकर्ता पूर्वगामी डिफ़ॉल्टस या DMI के उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों एवं खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

7. प्रकटीकरण

7.1 उधारकर्ता DMIको उधारकर्ता से संबंधित सभी जानकारी और आंकड़े,सुविधा, ड्रॉडाउन, उधारकर्ता द्वारा किया गया डिफ़ॉल्ट, यदि कोई हो, का खुलासा DMIद्वारा खुलासे के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाले और/या RBI द्वारा यथा अधिकृत ऐसे तृतीय पक्षों, जिसमें ट्रांसयूनियन CIBILLimited ("CIBIL") शामिल है, को करने के लिए स्वीकृत और अधिकृत करता है। उधारकर्ता यह भी स्वीकृत एवं अधिकृत करता है कि ऐसी सूचना का प्रयोग,संसाधनDMI/तीसरे पक्ष/CIBIL/RBI, जिसे भी वे उपयुक्त समझें, और लागू होने वाले कानून के अनुसार किया जाए। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, DMI और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता/उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों,जैसा कि लागू हो, के नाम का खुलासा 'बकायादारों' के रूप में इस तरह और इस तरह के माध्यम से जिसे DMI/CIBIL/RBI/अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त समझे,जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और सोशल मीडिया शामिल हैं,करने या प्रकाशित करने का एक अनधिकृत अधिकार होगा।

7.2 उधारकर्ता DMI को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या खुलासा करने और इसके कारण उधारकर्ता और/या अन्य व्यक्तियों द्वारा भुगते जाने वाले परिणामों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं मानेगा। इस धारा 8 के प्रावधानGC की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाए राशि की अदायगी से बचे रहेंगे।

8. विविध

8.1. DMI के रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियाँ अस्तित्व और उधारकर्ता के बकाया राशि का एक निर्णायक सबूत होगा निर्णायक सबूत DMI डीएमआई द्वारा प्रस्तुत बकाया राशि का कोई भी विवरण उधारकर्ता को स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए बाध्यकारी।

8.2. उधारकर्ता के बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता, किसी सुविधा के लिए एक से अधिक उधारकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किए जाने की स्थिति में,संयुक्त और एकाधिक होगी।

8.3. उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और (i) आरबीआई के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने में या (ii) वित्तीय पोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत DMI को अधिकारों का पूर्ण लाभ देने में आवश्यकतानुसार DMIके साथ सहयोग करेगा।उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, उधारकर्ता एतद द्वारा अटल रूप से यह सहमति देता है कि ऐसा करने में उसकी विफलता होने पर, इस तरह के बदलावों को वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों में शामिल किया हुआ माना जाएगा और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी।

8.4. किसी भी सुविधा के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण संबंधी दस्तावेज़ों के अनुसार DMI के सभी अधिकार और उपाय, DMIद्वारा उधारकर्ता के बकाया राशि की पूर्ण प्राप्ति होने तक बने रहेंगे।

8.5. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज की दर, दंड शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क और/या वित्त पोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने के लिए सहमति प्रदान किए गए दस्तावेजउचित और उसे स्वीकार्य हैं।

8.6. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि DMI अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसी गतिविधियों को करने के लिए या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से स्वयं हकदार होगा और उसके पास एक या अधिक तीसरे पक्षों (इसके आगे "सेवा प्रदाताओं" के रूप में संदर्भित) को नियुक्त करने की पूरी शक्ति और अधिकार है जैसा कि DMI उधारकर्ता से संबंधित सोर्सिंग, पहचान और सत्यापन से संबंधित दस्तावेजों के वित्तपोषणके तहत ऐसी पार्टी का चयन कर सकता है और उसे अपना सभी या कोई कार्य, अधिकार और शक्ति, प्रशासन, सुविधा की निगरानी और सभी विधिसम्मत कार्यों, व्यवहारों, मामलों और इससे संबंधित चीजों को पूरा करने और निष्पादित करने एवं इसके सिवा नोटिस भेजने, उधारकर्ता से संपर्क करने, DMI के पक्ष में उधारकर्ता से नकद/ चेक/ड्राफ्ट/मैंडेट प्राप्त करने के लिए सौंप सकता है।

8.7. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इसके अंतर्गत वित्तपोषणउसके और DMI के बीचउधारकर्ता और उधारदाता के संबंध को जन्म देता है, और DMIद्वारा प्रदान की गई/की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में नहीं। तदनुसार, इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

8.8. उधारकर्ता एतद द्वारा DMI को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण संबंधी दस्तावेज, निवास संबंधी दस्तावेज, पता का प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पहचान संबंधी दस्तावेज और उनके द्वारा सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी संबंधी अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं, और वे DMI द्वारा उसे बरकरार रखने की सहमति देते हैं।

8.9. उधारकर्ता DMI को समय-समय पर उधारकर्ता के पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता का विवरण प्राप्त करने औरDMI द्वारा यथा उचित समझे जाने पर CIBIL, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और इस तरह के अन्य रिपोर्ट तैयार करने/प्राप्त करने के लिए स्वीकृत और अधिकृत करता है। उधारकर्ता आधार ई-केवाईसी (e-KYC) द्वारा या दूसरे प्रकार से अपना केवाईसी सत्यापन करने के लिए DMI को स्वीकृति प्रदान करता है और उसे अधिकृत करता है और ई-केवाईसी (e-KYC)सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिएउसकी तरह से आवश्यक ऐसे सभी कार्य

करता है और किसी भी प्राधिकरण के साथ इस तरह की जानकारी साझा करता है एवं इस तरह की जानकारी को इस प्रकार से संग्रहीत करता है, जैसा यह उपयुक्त समझता है।

किसी भी घटना के घटित होने, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य की जानकारी, दस्तावेज, अधिकार, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के बारे में DMIऔर उधारकर्ता के बीच किसी मतभेद या विवाद की स्थिति में,किसी भी पूर्वगामी की भौतिकता के संबंध में DMIका विचार अंतिम होगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

8.10. उधारकर्ता और DMIGC के नियमों और शर्तों और DMI के आवश्यकतानुसार उधारकर्ता द्वारा अन्य ऐसे पत्र/वचनबंध का निष्पादन कर एक नई सुविधा देने पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

9. विच्छेदनशीलता

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि वित्तपोषण संबंधी इन दस्तावेजों के अंतर्गत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र और शेष से अलग है।

10. शासी कानून एवं अधिकार क्षेत्र

10.1. सभी सुविधा और वित्तपोषण संबंधी दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और आशय से होंगे।

10.2. इन विलेखों से उत्पन्न सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत पक्षों के अधिकार और दायित्व से संबंधित अब तक के आशय, अर्थ या प्रभावका निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम,1996 या इससे संबंधित किसी सांविधिक संशोधनों या इसके प्रतिस्थापन के लिए बने किसी अधिनियम के द्वारा किया जाएगा और उसे DMI द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और अधिनियम की धारा 29 (बी) के अंतर्गत कार्यवाही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया द्वारा होगी। । मध्यस्थता का अंतरिम निर्णय सहित निर्णय सभीसंबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे निर्णय में कोई कारण बताए बिना निर्णय पारित कर सकता है।

10.3. इसके अतिरिक्त,वर्तमान धारा वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों की समाप्ति के बाद बची रहेगी। वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों के मामले में, दिल्ली, भारत में स्थित न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होंगे (मध्यस्थता की कार्यवाही दिल्ली, भारत में भी आयोजित किए जाने के अधीन)।

11. नोटिस

11.1. उधारकर्ता को वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के संबंध में कोई भी नोटिस दिया जाना वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि उधारकर्ता को तामील किया गया हो या पंजीकृत डाक से भेजी गई हो या वर्तमान या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते के पते पर छोड़ दिया गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी नोटिस को उधारकर्ता द्वारा इसके डाक में डालने के समय से 48 घंटों के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। DMI को भेजा गया कोई भी नोटिस केवल तभी वैध माना जाएगा जब DMI द्वारा उसके उपरयुक्त पते पर प्राप्त किया गया हो।

12. स्वत्वार्पण

12.1 उधारकर्ता वित्तपोषण से संबंधित दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप सेसंयुक्त रूप से या अलग-अलग हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा या DMI की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में तीसरे पक्ष का हित तैयार नहीं कर पाएगा।

12.2 DMI किसी भी तरीके से (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से और सहभागिता अधिकार की स्वीकृति के माध्यम से) उधारकर्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना या DMI द्वारा निर्धारित विधि एवं शर्तों के अधीन उधारकर्ता को सूचित किए बिना उसके किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और/या वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत देयताओं को किसी भी तरह से बेचने, हस्तांतरण करने, सौंपने या उसका प्रतिभूतिकरण करने का हकदार होगा। इस तरह के हस्तांतरण, स्वत्वार्पण, प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत उधारकर्ता ऐसे हस्तान्तरिती या हस्तांतरणकर्ता के प्रति अपने अपना दायित्व निभाएगा या निभाने के लिए बाध्य होगा। इस स्थिति में,DMI द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उधारकर्ता शेष EMANDATE/ ECS को हस्तांतरी/हस्तान्तरिती के पक्ष में बदल देगा।

13. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता एतद द्वारा DMI, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों में शामिल किसी भी नियमों एवं शर्तों का पालन करने में हुई विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न कारणों से या डिफ़ॉल्ट की स्थिति या वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के अंतर्गत DMI द्वारा किसी अधिकार का प्रयोग करने पर, जिसमें जमानत का प्रवर्तन करना या उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली शामिल है,समय-समय पर क्षतिपूर्ति करता है, उनकी रक्षा करता है और किसी भी दायित्व, दावे, नुकसान, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (बिना सीमा के, वकील की उचित फीस और खर्च सहित) सहित हर समय नुकसान से बचाता है।

14. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई" **DMI**) सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि आय पहचान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान-**12 नवंबर, 2021** को भारतीय रिजर्व बैंक("आरबीआई"-**RBI**") द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण,जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, कंपनी डिफ़ॉल्ट रूप से उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को तुरंत,वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार उन्हें विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए" **SMA**) के रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेगी;

"**डेट ऑफ़ ओवरडयू" (अतिदेय**) तिथि का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन क़र्ज़ लेने वाले के खातों को दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की **15-मार्च-22** है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो ऋणलेने वाले को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा –

ईएमआई (EMI) की देय तिथि	**15-मार्च -22**	**डेज पास्ट डयू (डीपीडी DPD)**	**-**
अतिदेय ईएमआई (**ओवरडयू EMI**)	15- मार्च --22	0-30	एसएमए 0 (SMA0)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है (दिन के अंत तक प्राप्त नहीं हुई)	14- मार्च --22	31-60	एसएमए1 (SMA1)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है	14- मार्च --22	61-90	एसएमए2 (SMA2)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है	13- मार्च --22	91 और इससे ऊपर	एनपीए (NPA)

<u>यदि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो एनपीए (NPA) के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है. ।</u>

उदाहरण:

विवरण	परिद्रश्य 1*	परिद्रश्य 2*
ऋण वर्गीकरण	एनपीए (NPA)	एनपीए (NPA)
ईएमआई (EMI) की राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईएमआई (EMI)	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
बकाया अतिदेय ईएमआई (EMI)	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक ऋण लेने वाले को एनपीए के रूप में सूचित किया जाता रहेगा	मानक

<u>नोट :</u>

i. एनपीए (NPA) खातों की रिपोर्टिंग अब डीपीडी (DPD) के आधार पर की जाएगी।

ii. केवल ब्याज की संपूर्ण बकाया राशि और सभी ऋणों से संबंधित मूलधन के पुनर्भुगतान पर, डीएमआई (DMI) से एक से अधिक ऋण लेने वाले ऋणकर्ताओं के मामले में, ऋण खातों को एनपीए (NPA) से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा,.

iii. एनपीए (NPA) के रूप में किसी खाते का वर्गीकरण क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर एक समान प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, डीएमआई (DMI) सभी उधारकर्ताओं से ऋण चुकौती अनुसूची में उल्लिखित देय तिथि के अनुसार अपना ईएमआई (**EMI**) भुगतान करने का आग्रह करता है। यह क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/प्रस्ताव के लिए योग्यता को बेहतर बनाता है.

iv. हम सभी उधारकर्ताओं को ईएमआई का भुगतान करने के लिए https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

15. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई" **DMI**) सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि आय पहचान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान-12 नवंबर, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक("आरबीआई"-**RBI"**) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण,जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, कंपनी डिफ़ॉल्ट रूप से उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को तुरंत,वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार उन्हें विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए" **SMA**) के रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेगी;

"**डेट ऑफ़ ओवरड्यू" (अतिदेय**) तिथि का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन क़र्ज़ लेने वाले के खातों को दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की **15-मार्च-22** है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो ऋणलेने वाले को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा –

ईएमआई (EMI) की देय तिथि	**15-मार्च -22**	**डेज पास्ट ड्यू (डीपीडी DPD)**	**-**
अतिदेय ईएमआई (**ओवरड्यू EMI**)	15- मार्च --22	0-30	एसएमए 0 (SMA0)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है (दिन के अंत तक प्राप्त नहीं हुई)	14- मार्च --22	31-60	एसएमए1 (SMA1)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है	14- मार्च --22	61-90	एसएमए2 (SMA2)
ईएमआई (**EMI**) **अतिदेय** बनी हुई है	13- मार्च --22	91 और इससे ऊपर	एनपीए (NPA)

<u>यदि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो एनपीए (NPA) के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है. ।</u>

उदाहरण:

विवरण	परिद्रश्य 1*	परिद्रश्य 2*
ऋण वर्गीकरण	एनपीए (NPA)	एनपीए (NPA)
ईएमआई (EMI) की राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईएमआई (EMI)	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
बकाया अतिदेय ईएमआई (EMI)	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक ऋण लेने वाले को एनपीए के रूप में सूचित किया जाता रहेगा	मानक

नोट :

v. एनपीए (NPA) खातों की रिपोर्टिंग अब डीपीडी (DPD) के आधार पर की जाएगी।

vi. केवल ब्याज की संपूर्ण बकाया राशि और सभी ऋणों से संबंधित मूलधन के पुनर्भुगतान पर, डीएमआई (DMI) से एक से अधिक ऋण लेने वाले ऋणकर्ताओं के मामले में, ऋण खातों को एनपीए (NPA) से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा,.

vii. एनपीए (NPA) के रूप में किसी खाते का वर्गीकरण क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर एक समान प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, डीएमआई (DMI) सभी उधारकर्ताओं से ऋण चुकौती अनुसूची में उल्लिखित देय तिथि के अनुसार अपना ईएमआई (**EMI**) भुगतान करने का आग्रह करता है। यह क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/प्रस्ताव के लिए योग्यता को बेहतर बनाता है.

viii. हम सभी उधारकर्ताओं को ईएमआई का भुगतान करने के लिए https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

16. स्वीकृति:

मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं कि DMI**सभी शर्तों और मेरे द्वारा** GC**और** DMI**की नीति के अनुरूप अन्य वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों में भरे गए सभी विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इस** GC **का एक पक्ष बनने के लिए तैयार होगा। मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि यह** GC DMI**के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि या पहले संवितरण की तिथि, जो भी पहले हो, के दिन समाप्त हो जाएगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा।**

"मैं स्वीकार करता हूं" पर करके, उधारकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन GC पर हस्ताक्षर करता है और इसके शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इस GCकी स्वीकृति का अर्थ होगा: (i)उधारकर्ता के द्वारा इन GC में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करना और बिना शर्त इनसे बाध्य होना; और (ii)उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि ये GC(वित्तपोषण संबंधी दस्तावेजों के साथ) उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ लिए और पूरी तरह से समझ लिए गए हैं।